बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक :–BRRDA(HQ)-43/2023 –761 पटना/दिनांक :– 23.3.2023

प्रेषक,

संजय दूबे (भा0प्र0से0)
विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग
–सह–अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ब्राडा,

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय– कार्य अनुबंधो में जी0एस0टी0 एवं वैट के दावों का निष्पादन एवं संवेदको द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान की जाँच एवं मॉनिटरिंग हेतु परामर्शी के नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यालयों द्वारा निष्पादित उन कार्य अनुबंधो जिनके प्राक्कलन में जी0एस0टी0 सम्मलित नहीं है, में संवेदको के जी0एस0टी0 दावों के भुगतान के पूर्व अंकेक्षण/जाँच हेतु ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा जी0एस0टी0 परामर्शी फर्म की नियुक्ति की गई है। इस संबंध में आपको निदेशित किया जाता है कि जी0एस0टी0 दावों के अंकेक्षण/जाँच हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन करना सुनिश्चि करें :–

1. वस्तु एवं सेवा कर लागू होने की तिथि अर्थात 01 जुलाई, 2017 को जारी सभी कार्य अनुबंधों एवं उक्त तिथि के उपरान्त अब तक निष्पादित सभी कार्य अनुबंधों की सूची के साथ प्रमंडलों के अधीन निविदा से संबंधित लंबित जी0एस0टी0 एवं वैट क्लेम की सूची बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण के माध्यम से परामर्शी को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही उक्त अवधि के एग्रीमेंट रजिस्टर की छायाप्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। (प्रारूप Annexure-1)

2. सभी जी0एस0टी0 निबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपनी मासिक जी0एस0टी0 विवरणी परामर्शी के माध्यम से दाखिल करायेंगे। साथ ही संवेदको द्वारा कर का भुगतान

23/3/2023

सुनिश्चित कराने हेतु जी0एस0टी0 परामर्शी को वांछित दस्तावेज उपलब्ध करायेंगे। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संवेदक द्वारा जी0एस0टी0 जमा कराने में कोई अनियमितता नहीं बरती जा रही है। उपरोक्त के आलोक में अपने जी0एस0टी0 लॉगिन क्रेडेंसियल यथाशीघ्र परामर्शी को उपलब्ध कराएंगे।

3. जिन संविदाओं में विभाग से जी0एस0टी0 या वैट क्लेम की स्वीकृति पहले दी जा चुकी है या भुगतान कर दिया गया है उन सभी संविदाओं की संचिकाओं को अंकेक्षण हेतु परामर्शी को अंचल एवं प्रमंडल कार्यालय उपलब्ध कराएगें। अंकेक्षण उपरान्त यदि किसी राशि की देयता बनती है तो उसका भुगतान कर दिया जाय और यदि अधिक राशि का भुगतान हो चुका हो तो उसे वसूल कर लिया जाय।

4. परामर्शी की अंकेक्षण रिपोर्ट पर जी0एस0टी0 के नोडल पदाधिकारी, वित्त प्रबंधक एवं वित्त प्रबंधक (Taxation) ब्राडा का हस्ताक्षर किया जाएगा। यह रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता को प्रेषित किया जाएगा। अधीक्षण अभियंता परामर्शी के रिपोर्ट के आलोक में यथाशीघ्र क्लेम का Sanction करेंगे। (प्रारूप Annexure-2) तदोपरान्त आवंटन प्राप्त होने पर संबंधित प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता भुगतान करेंगे।

5. SBD के क्लाउज 35 या एकरारनामा के संबंधित प्रावधान के आलोक में संवेदक को अपना क्लेम स्वयं प्रस्तुत एवं सिद्ध करना होगा। इस हेतु वांछित कागजात की विवरणी संलग्न है। (प्रारूप Annexure-3)

6. PMGSY योजनान्तर्गत क्लेम की निस्तारण के लिए NRIDA के परिपत्रों का पालन करना अनिवार्य होगा।

7. विभाग के किसी भी अभियंता या कर्मचारी द्वारा संवेदक की क्लेम गणना नहीं बनाई जाएगी। संवेदक को यह प्रमाणित करना होगा कि जिस कर का वह क्लेम कर रहे है व पूर्ण रूप से सरकारी खजाने में जमा किया जा चुका है।

8. जी0एस0टी0 / वैट क्लेम समर्पित करने के पूर्व में सूचित सभी प्रारूप निरस्त किये जाते है।

9. कार्यपालक अभियंता, जी0एस0टी0 क्लेम के भुगतान हेतु अलग से आवंटन की अधियाचना करेंगे। अधियाचना पत्र के साथ परामर्शी का अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा अधीक्षण अभियंता का क्लेम Sanction संलग्न रहना अनिवार्य होगा।

23/3/2023

10. परामर्शी सभी RA Bills के दावो के अंकेक्षण करने हेतु प्राधिकृत है, जिनका भुगतान हो चुका है या भविष्य में किया जाना है।

11. परामर्शी के रिपोर्ट के आधार पर संवेदकों का भुगतान करने के उपरान्त भुगतान की विवरणी परामर्शी को प्रदान की जाएगी।

उपरोक्त पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

उपरोक्त दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन कर परामर्शी की सेवा ली जाए। परामर्शी से निम्नलिखित माध्यम से सम्पर्क किया जा सकता है :–

M/s SKKSS & Co.

GST परामर्शी

ग्रामीण कार्य विभाग,

बिहार, पटना।

Mo:–9263374200

Email:– rwdgst@gmail.com

Sd/- 23/3/2023

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांकः– BRRDA(HQ)-43/2023-761 पटना / दिनांक–23.3.2023

प्रतिलिपिः– M/s SKKSS & Co, GST परामर्शी, ग्रामीण कार्य विभाग, को सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/- 23/3/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांकः– BRRDA(HQ)-43/2023-761 पटना / दिनांक–23.3.2023

प्रतिलिपिः– आंतरिक वित्तीय सलाहकार–सह–GST नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, को सूचनार्थ समर्पित।

Sd/- 23/3/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांकः– BRRDA(HQ)-43/2023-761 पटना / दिनांक–23.3.2023

प्रतिलिपिः– सभी योजनाओं के नोडल / वरीय नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

Sd/- 23/3/2023

विशेष सचिव

37

ज्ञापांकः– BRRDA(HQ)-43/2023-761 पटना/दिनांक–23.3.2023

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

23/3/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांकः– BRRDA(HQ)-43/2023-761 पटना/दिनांक–23.3.2023

प्रतिलिपिः– सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

23/3/2023

विशेष सचिव

36

(Annexure-1)

Letter No. Dated:

From :-

Executive Engineer
(Name of Division).

To,

GST Consultant
Rural Works Department,
Patna, Bihar.

Respected Sir,

Sub – To provide the list of contracts ongoing as on 01.04.2016 and awarded after 01.04.2016 till date for evaluation of GST and VAT claims.

Ref :- Departmental Letter no…….Dated…..

With reference to the subject above, it is to be said that the list of contracts ongoing as on 01.04.2016 and awarded after 01.04.2016 till date for evaluation of claims are as follows:

S.No.	Financial Year	Name of Contractor	Name of Work	Agreement Number	Contact Number	Agreement Amount	Payment amount
1							
2							
3							
4							
5							
6							

Yours faithfully
Executive Engineer
(Name of Division)

Annexure-2

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल ....

E-mail:-...................................., Mob-......................

पत्रांकः– दिनांकः–

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल,................. ।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल–................ ।

विषय– योजना का नाम–................................/वर्ष......................../ में जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) हेतु संवेदको द्वारा समर्पित दावा विपत्र की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय जी0एस0टी0 समिति की अनुशंसा, विभागीय ज्ञापांक................/ दिनांक....................../ ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित कार्य में जी0एस0टी0 की राशि की प्रतिपूर्ति जो जाँचोपरान्त रू–....................../ मात्र होती है, के भुगतान हेतु निम्न शर्तो के साथ अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. किसी भी परिस्थिति में व्यय को प्रशासनिक स्वीकृति के अनुक्षेत्र सीमा के अंतर्गत रखा जाए।
2. यदि भविष्य में दावा नियमानुकूल नही पाया गया तो सम्पूर्ण राशि एक मुस्त संवेदक के अगले विपत्र/अग्रधन से समायोजित कर ली जाय।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल........................ ।

(Annexure – 3)

List of documents required for GST claim settlement

Documents required from Circle:

1. Copy of certified Bill of Quantity ('BOQ')
2. Copy of certified Rate analysis and the date/year of preparation of rate analysis with SOR year and in Ms. Excel format (recommended) and hard copy **that corresponds with approved BOQ.**

Documents required from Divisions:

1. Copy of Agreement.
2. Copy of last certified RA Bill/ Bill Form for which claim has been submitted.
3. Copy of last certified RA Bill/ Bill form for work done before 30.06.2017 of the project. (Date of measurement as recorded in the Measurement be taken for reference)
4. Payment certificates for each project under consideration for each Financial Year.

Documents required from Contractors:

1. Contractor's self-attested copy of GST Claim and calculations thereof.
2. Duly filled in annexure as attached.
3. Copy of GSTR 9 and 9C for each FY in which project was under execution and last return.
4. Copy of GSTR 7A & GSTR 3B for each FY in which project was under execution and last return.
5. Copy of VAT returns in R-III for FY 2015-16 onwards (required only for ongoing projects as on 01.07.2017).